



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक / 1664 / समन्वय / 2021

रायपुर, दिनांक 26 / 08 / 2021

:: आदेश ::

मण्डल द्वारा जारी प्रवेश नियमानुसार मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में कक्षा नवमी से बारहवी हेतु निर्धारित प्रवेश सीट संख्या के अतिरिक्त 10% (प्रतिशत) प्रवेश दिये जानें का प्रावधान रखा गया है।

कोविड-19 संक्रमण के कारण शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए 10% (प्रतिशत) के स्थान पर 25% (प्रतिशत) अतिरिक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति केवल शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए मान्य होगी।

Am
25/8/21
(प्रोफेसर व्ही. के. गोयल)

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 / 08 / 2021

पृ. क्रमांक / 1665 / समन्वय / 2021

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष/सचिव महोदय के निजी सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर,
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़,
3. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
4. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, छ.ग. मा. शिक्षा मण्डल, रायपुर,
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, संभागीय कार्यालय, रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव एवं बिलासपुर छत्तीसगढ़,
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़,
7. समस्त सहायक सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर,
8. समस्त संभागीय अधिकारी, छ0ग0मा0शि0मण्डल बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, एवं राजनांदगांव,
9. समस्त कक्ष अधिकारी, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर,
10. समस्त प्राचार्य मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय संस्थायें, छत्तीसगढ़,
11. प्रोग्रामर, डाटा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर, की ओर मण्डल की वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Am
25/8/21
सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

रायपुर